15वीं विधानसभा के आखिरी सत्र में आखिरी दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा

विपक्ष ने मदन दिलावर की निलंबन वापसी, लाल डायरी और प्रदेश में बढ़ते महिला दुष्कर्म पर चर्चा की मांग की थी

- शोर-शराबे में गुजरा पूरा दिन, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया।
- भाजपा "मदन नहीं तो सदन नहीं" की मांग पर अड़ी रही, सरकार ने पांच बिल 24 मिनट में पारित किये।
- डायरी छीन कर ले जाना गलत, दिलावर ने कुछ गलत नहीं किया: राजेन्द्र राठौड़

जयपुर, 2 अगस्त (वि.सं.)। प्रदेश में बढ़ते महिला दुष्कर्म मामलों, लाल डायरी पर चर्चा और भाजपा विधायक मदन दिलावर की निलंबन वापसी की मांग को लेकर 15वीं विधानसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी ने सदन की परंपराओं का वास्ता देकर प्रश्नकाल तो पूरा करवा लिया, लेकिन, शून्यकाल हंगामे में निकला। सदन को दो बार स्थगित करना पड़ा और आखिर में हंगामे के बीच, मात्र 24 मिनट में ही पांच बिल पारित करवाकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान मदन दिलावर और राजेन्द्र गुढ़ा का निलंबन रद्द नहीं हुआ और दोनों ही विधानसभा से निलम्बित रहेंगे।

प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने विधायक मदन दिलावर के निलंबन का मामला उठाते हुए अपनी बात रखनी चाही, तो अध्यक्ष जोशी ने यह कहकर मना कर दिया कि, शून्यकाल में आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जायेगा। इस पर भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए वैल में आ गये तो अध्यक्ष ने सदन की परंपराओं का हवाला देकर उन्हें यह आश्वासन दिया कि शून्यकाल में उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। फिर भाजपा विधायकों ने प्रश्नकाल पूरा होने दिया।

बाद में जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ तो व्यवस्थाएं देने के बाद अध्यक्ष ने राजेन्द्र राठौड़ को अपनी बात कहने को कहा। राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा विधायक मदन दिलावर के निलंबन को वापस लेने की मांग करते हुए लाल डायरी को लेकर उठ रहे सवालों का जिक्र किया। जब उन्होंने कांग्रेस विधायकों पर लाल डायरी छीनने का आरोप लगाया तो हंगामा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व अन्य कांग्रेस विधायकों ने राठौड़ द्वारा मामला उठाते ही कड़ी आपत्ति की। इसके बाद सदन पहली बार 12 बजकर 09 मिनट पर आधे घंटे के लिये स्थगित कर दिया गया। दूसरी बार सदन 12.39 बजे शुरू हुआ तो स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा चलती रही लेकिन भाजपा विधायक वैल में ही नारेबाजी करते रहे। काफी देर तक नारेबाजी हुई तो अध्यक्ष ने दोबारा सदन की कार्यवाही 1.02 बजे स्थगित कर दी। इसके बाद सदन 1.32 बजे फिर शुरू हुआ तो हंगामे के बीच 24 मिनट में ही पांच विधेयक पास करवा लिये गये और 1.56 बजे सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

शून्यकाल में अध्यक्ष जोशी से बोलने की अनुमति मिलने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि, 21 जुलाई को जब मणिपुर की घटना के जिक्र पर हम एन.सी.आर.बी. (नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो) के आंकड़ों पर बात करते हुए सरकार से जवाब मांग रहे थे, उसी समय तत्कालीन राज्यमंत्री राजेन्द्र गुढ़ा उठे, उन्होंने राजस्थान की आज की स्थिति में बलात्कार के मामलों को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, हालात ठीक नहीं हैं, उनको बर्खास्त किया, यह आपका मामला है। मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री किसको रखेंगे, यह उनका विवेकाधिकार है। तत्कालीन राज्य मंत्री ने जब लाल डायरी सदन में टेबल करनी चाही तो सदन में गुस्से का वातावरण बना। सत्ता पक्ष के दोनों गुटों में जिस तरह का झगड़ा हुआ, उसमें रामगंज मंडी से आने वाले विधायक मदन दिलावर वैल में आए थे। लेकिन, उनका ऐसा कोई कृत्य नहीं था कि उन्हें निलंबित किया जाता। आखिरी सत्र है, इसका हम गरिमापूर्ण समापन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि, हम आपके साथ फोटोग्राफ में भी रहें। एक सदस्य, जिसका कोई कसूर नहीं है, उसका इस प्रकार निलंबन उचित नहीं है।

अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटी

मुंबई, 2 अगस्त (वार्ता)। फिच के अमेरिका की साख रेटिंग घटाने से वैश्विक बाजार में आई गिरावट से हतोत्साहित निवेशकों की स्थानीय स्तर पर हुई चौतरफा बिकवाली से आज शेयर बाजार में कोहराम मच गया। बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 676.53 अंक अर्थात् 1.02 प्रतिशत का गोता लगाकर करीब तीन सप्ताह बाद 66 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 65,782.78 अंक पर आ गया। इससे पहले यह इस वर्ष 13 जुलाई को 65, 558.89 अंक पर रहा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ़्टी 207 अंक यानी 1.05 प्रतिशत लुढ़क कर 19,526.55 अंक पर रहा। बीएसई की दिग्गज कम्पनियों की तरह मझौली और छोटी कम्पनियों में भी बिकवाली का दबाव रहा। इससे मिड कैप 1.39 प्रतिशत की गिरावट लेकर 29,926.19 अंक पर आ गया।

- यह खबर आते ही भारतीय शेयर बाजार में हड़कम्प की स्थिति बन गई।

गौरव गोगोई राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बने

- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की स्क्रीनिंग कमेटी घोषित की।
- मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन जितेन्द्र सिंह को बनाया गया है।

जयपुर, 2 अगस्त (का.प्र.)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजस्थान और मध्यप्रदेश के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी है। राजस्थान में सांसद गौरव गोगोई को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। उनके साथ गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त को सदस्य बनाया गया है।

राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी में इन तीनों के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, विधायक सचिन पायलट सहित तीनों सह प्रभारी, काजी निज़ामुद्दीन. वीरेंद्र सिंह राठौड़ और अमृता धवन को भी सदस्य बनाया गया है।

इसी के साथ मध्यप्रदेश के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान करते हुए जितेन्द्र सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं, अजय कुमार लल्लू और सप्तगिरि इलाका को सदस्य बनाया गया है।

इन्हीं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधायक दल के नेता गोविंद सिंह, मध्य प्रदेश के प्रभारी जे.पी. अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कैम्पेन कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, कमलेश्वर पटेल सहित सह प्रभारियों को सदस्य बनाया गया है।

इसी के साथ छत्तीसगढ़ के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष अजय माकन को बनाया गया है। वही उनके साथ डॉ एल हनुमंथप्पा और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा को सदस्य बनाया गया। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, उपमुख्यमंत्री टी एस सिंह देव और सह प्रभारियों को सदस्य बनाया गया है।

के. मुरलीधरण को तेलंगाना की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ बाबा सिद्दीकी और जिग्नेश मेवानी को सदस्य बनाया गया है।

इसी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंथ रेड्डी, सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमर्का, प्रभारी मानिकराव ठाकरे, सांसद एन उत्तम कुमार रेड्डी और सह प्रभारियों को सदस्य बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के प्रशासन को विहिप-बजरंग दल की रैली में कोई "हेट स्पीच" नहीं होने की बात सुनिश्चित करने का आदेश दिया और सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध करने को कहा।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि "हमें उम्मीद है और भरोसा भी, कि राज्य पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी समुदाय के खिलाफ "हेट स्पीच" ना हो, ना ही किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा हो व उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए।

जहां भी जरूरी हो अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाए। सी.सी.टी.वी. कैमरा का इस्तेमाल हो, संवेदनशील क्षेत्रों में वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। सी.सी.टी.वी. की फुटेज सुरक्षित रखी जाए।"

'लोकसभाध्यक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 आज लोकसभा में चर्चा और पारित होने के लिए तय था लेकिन स्थगन के कारण इस पर चर्चा और मतदान नहीं हो सके। इससे भाजपा का व्हिप बेअसर हो गया।

चैनल पर समाचार ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि बिड़ला मंगलवार को लोकसभा में विधेयक पारित होने से पहले विपक्ष और सरकार दोनों से नाराज़ थे।

सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष सदन की गरिमा को उच्चतम रखता है और सदस्यों से भी कार्यवाही के दौरान शालीनता चाहता है।

विपक्ष और सरकार दोनों को बता दिया गया है कि 20 जुलाई को मानसून सत्र आरंभ होने के बाद से लगातार हो रहे व्यवधान से अध्यक्ष नाराज़ हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अध्यक्ष संसदीय गरिमा का संरक्षक होता है और उसे अधिकार है कि प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने के लिए बाध्य कर सके। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को वैधानिक 10 दिनों के अंतिम दिन चर्चा में लेने और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित होने देने से अध्यक्ष की स्थिति और भूमिका सही नज़र नहीं आती।

इसलिए विशेषज्ञ इस खबर को गंभीरता से नहीं ले रहे क्योंकि जितना दिखाई देता है उससे कुछ ज्यादा है।

मोदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जनगणना का विरोध करती आ रही है क्योंकि उसका मानना है कि इससे पार्टी द्वारा ओ.बी.सी. समुदाय के साथ सुविचारित रूप से बनाये गये समीकरण बिगड़ जायेंगे।

'अगर माफी ही मांगनी होती तो बहुत पहले ही मांग लेता'

- सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने यह बात कहकर स्पष्ट कर दिया कि, मोदी सरनेम टिप्पणी पर मानहानि मामले में संसद की सीट खोने के बाद भी राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं हैं।
- सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा कि, वे इस अपराध के लिए दोषी नहीं हैं। और अगर उन्हें माफी मांगनी ही होती तो बहुत पहले ही मांग लेते।

नई दिल्ली, 2 अगस्त। ऐसा लगता है कि, मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि का मामले में सांसदी जाने के बाद भी राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं हैं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने हमेशा कहा है कि वह इस अपराध के लिए दोषी नहीं हैं और दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और अगर उन्हें माफ़ी मांगनी होती और अपराध को कम करना होता, तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता।

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी अपनी सांसदी पहले ही गंवा चुके हैं। अब वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा कि वह इस अपराध के लिए दोषी नहीं हैं। और अगर उन्हें माफी मांगनी ही होती तो बहुत पहले ही मांग लेते। मामले में शिकायतकर्ता और गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने जवाब में गांधी के लिए अहंकारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा कि उन्होंने माफी मांगने को तैयार नहीं हैं।

राहुल गांधी के हलफनामे में कहा गया है कि बिना किसी गलती के माफी मांगने का कोई मतलब नहीं बनता है। जन प्रतिनिधित्व होने के नाते उन्होंने एक रैली में ऐसा बयान दिया था। उनके खिलाफ इस मामले में जो फैसला लिया गया वह न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने नीरज मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों हैं? इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात की एक अदालत में अपील दायर की थी। जिसमें अदालत ने राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई।

20 यूनिवर्सिटी फर्जी घोषित

नई दिल्ली, 2 अगस्त। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बुधवार को 20 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया। ऐसे में उन्हें कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में ऐसे सबसे अधिक आठ संस्थान हैं। यूजीसी के इस कदम का उद्देश्य छात्रों को गैर-मान्यता प्राप्त और धोखाधड़ी वाले संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने के जाल में फंसने से बचाना है। छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए नामांकन से पहले विश्वविद्यालयों की मान्यता को सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने बताया कि आयोग के संज्ञान में आया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री प्रदान कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्री न तो मान्यता प्राप्त होगी और न ही उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य से मान्य होगी। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय नहीं हैं और इन्हें कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार है।

'भाजपा के प्रदर्शन से हाई कोर्ट की कार्यवाही बहुत बाधित हुई'

हाई कोर्ट ने पुलिस के आला अधिकारियों को तलब किया, इस व्यवस्था के लिये

- हाई कोर्ट गुरूवार को कोर्ट शुरू होते ही, इस मामले को लेगी।

जयपुर, 2 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने, मंगलवार को भाजपा के सचिवालय घेराव के दौरान शहर में घंटों लगे जाम के कारण हाईकोर्ट की कार्यवाही बाधित होने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए इस अव्यवस्था के लिये पुलिस के आला अधिकारियों को यह तलब किया। जस्टिस समीर जैन ने बुधवार को यह आदेश देते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कोर्ट शुरू होते ही लेगा।

इस मामले में अधिवक्ता सुनील नाथ को न्यायमित्र बनाया गया है। सरकार की ओर से अधिवक्ता आर.पी.सिंह अदालत में पैरवी के लिये पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में पुलिस के आला अधिकारी अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने अधिकारियों से बीच शहर रैली निकालने की अनुमति के बारे में जानकारी मांगी।

अदालत ने पूछा कि, संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश देते हुए स्वप्रेरणा से अवमानना का प्रसंज्ञान क्यों न लिया जाए?

अदालत ने कहा कि, शहर के बीच रैली नहीं निकाली जा सकती क्योंकि जाम के कारण लोग कई घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे और इससे हाईकोर्ट की कार्यवाही बाधित हुई। बच्चों को स्कूल से घर पहुंचने के लिए दो घंटे का इंतजार करना पड़ा।

अदालत ने कहा कि, हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट पूर्व में तय कर चुका है कि, आम रास्ते पर जाम नहीं लगाया जा सकता। इसके बावजूद भी रैली के लिए अनुमति दी गई। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार को रखी है।

रेल्वे का नया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन (आई.आर.सी.टी.सी.) अगले दिन ऑटोमैटिक रिफंड प्रक्रिया शुरु हो जाती है।

रिफंड राशि उसी पेमैन्ट गेटवे/बैंक के जरिय दी जाती है, जिसके माध्यम से राशि प्राप्त थी। सामान्यत: ट्रांजेक्शन मोड के अनुरूप, रिफंड प्रक्रिया में बैंक को कुछ समय लगता है।

नैट बैंकिंग/वालेट/कैश कार्ड ट्रांजेक्शन में 3-4 कार्य दिवस का समय लगता है।

मंत्री ने यात्रियों से यह भी अनुरोध किया कि वे मोबाइल ऐप तथा "बुक नाउ, पे लैटर (बुकिंग अभी, पैसा बाद में) या ई.एम.आई. से भुगतान के विकल्प का लाभ उठाएं।

अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जी.एस.टी लगेगी

नयी दिल्ली, 2 अगस्त (वार्ता)। ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवार कर (जीएसटी) लगाये जाने के निर्णय में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह निर्णय एक अक्टूबर से प्रभावी हो सकता है क्योंकि सरकार इससे संबंधित संशोधन को मानसून सत्र में ही संसद से पारित करा सकती है।

जीएसटी परिषद की आज हुयी 51वीं बैठक के बाद परिषद की अध्यक्ष एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी और कहा कि इससे संबंधित संशोधन को केन्द्रीय जीएसटी कानून में सम्माहित किया जायेगा और इसे मानसून सत्र में ही पारित कराने की कोशिश की जायेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जीएसटी कानून में संशोधन के बाद राज्यों को अपने यहां भी इस कानून को राज्य जीएसटी कानून में संशोधन करना होगा और इससे संबंधित विधेयक को पारित होने के बाद ही लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके प्रभावी होने पर छह महीने तक इसकी समीक्षा की जायेगी और उसके बाद यदि जरूरत हुआ तो इसमें संशोधन किया जा सकता है।

- जी.एस.टी. काउन्सिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत जी.एस.टी. लागू करने के फैसले पर सहमति बनी

'बिना हिसाब-किताब किए रेवड़ियाँ बांट रही है कांग्रेस, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रही है: "कांग्रेस ने इस बात की जानकारी के बिना, उतावलेपन में वादे कर दिये थे कि इन गारंटियों के लिये पैसा कहाँ से आयेगा, तथा सरकार बनने के बाद चन्द सप्ताहों में ही राज्य की अर्थव्यवस्था को अव्यवस्था की स्थिति में पहुँचा दिया।"

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुये कहा, "सत्ता की भूखी कांग्रेस के पास न तो उसके द्वारा किये गये वादों के लिये पैसा है और न विकास के लिये। उपमुख्यमंत्री द्वारा यह स्वीकार किया जाना दर्शाता है कि यह सरकार दृष्टिविहीन एवं गैर जिम्मेदार है।"

पूर्व मुख्यमंत्री बासवराजह बोम्मई ने शिवकुमार के स्वीकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये और भी ज्यादा तीखे प्रहार किये तथा कहा कि राज्य का भविष्य खराब है। उन्होंने कहा, "विकास के बिना, राज्य दो साल तक परेशानी उठायेगा, दो साल तक विकास-कार्य न होने स राज्य दस साल पीछे चला जायेगा। कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर अंदरूनी तू-तू, मैं-मैं हो रही है।" भाजपा नेता, अपनी पराजय के बाद से ही, मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री के बीच जबरदस्त मतभेदों के चलते, कांग्रेस सरकार के गिरने की भविष्यवाणियाँ करते आ रहे हैं। चुनाव से पहले, ये दोनों एक हो गये थे तथा उनकी एकता के परिणाम कांग्रेस के हित में रहे थे।

कांग्रेस कर्नाटक सरकार के कार्यों की महत्ता को अच्छी तरह समझती है क्योंकि वह आम चुनावों से पहले सरकार के काम सबके आगे रखना चाहती है। यही कारण है कि भाजपा के प्रहार इतनी तेजी एवं कठोरता लिये हुये हैं।

साफ बात यह है कि भाजपा कांग्रेस पर ये तीखे हमले ऐसे समय पर कर रही है, जब कांग्रेसी विधायक इस बात से दुखी हैं कि उनके चुनाव क्षेत्रों में विकास करने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है।

सच तो यह है कि कांग्रेस के बहुत से विधायकों ने इस बात की शिकायत भी की है तथा दिल्ली का कांग्रेस नेतृत्व को उनकी अप्रसन्नता की जानकारी है।

कांग्रेस कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन करने के महत्व को अच्छी तरह जानती है। वस्तुत: कर्नाटक सरकार का सुशासन या असफलता लोकसभा के आम चुनावों में इस राज्य के लिय ही नहीं, अन्य राज्यों के लिये भी बहुत महत्वपूर्ण होगी।

यही कारण है कि कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व भी कर्नाटक की पार्टी राजनीति में कुछ फेरबदल करने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक के दो मंत्रियों को लोकसभा चुनावों में खड़ा किया जा सकता है।

कर्नाटक के नेता, जिनमें मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया भी शामिल हैं, लोकसभा चुनावों के बारे में चर्चा करने के लिये दिल्ली आये हुये हैं। राज्य के कुछ नेताओं, जिनमें राज्य के कुछ मंत्री भी शामिल हैं, को लोकसभा चुनाव में खड़ा किया जा सकता है।

फर्जी लैब्स के कारण पनप रहा है...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा राज्य सरकार दोनों कानून कायदे बना सकते हैं। और बजट भी आवंटित कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट के तहत केन्द्र सरकार लैब्स के संचालन के लिए न्यूनतम मानक तो तय कर सकता है परंतु इन लैब्स को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है। इसलिए राज्य सरकार का कहना कि उन्हें क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट, जो वो स्वयं 2013 में पारित कर चुकी है, कि क्रियान्विति के लिए केन्द्र से बजट की आवश्यकता है, अपनी जिम्मेदारियों को नकारने के बराबर है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अवैध मैडिकल लैब्स के संचालन को रोकने और लैब्स का रेगूलेशन करने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कई आदेश भी पारित किए थे। फिर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लैब्स के मानक तय किए जाने के बाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इस मामले का निस्तारण कर दिया कि उक्त लैब्स के रेगूलेशन के लिए नियम कायदे कानून तय कर दिए गए हैं परंतु कानून में त्रुटियां या उसकी अवहेलना की शिकायत हो तो कोई भी याचिकाकर्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ना केवल राजस्थान हाई कोर्ट में बल्कि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य हाई कोर्ट में भी अवैध लैब्स को बंद कराने से संबंधित मामले चल रहे हैं परंतु इन मामलों पर सुनवाई बहुत कम बार हुई है। इससे यह भी साफ जाहिर होता है कि अवैध लैबों का तंत्र देश के हर प्रदेश में फैला हुआ है।

परंतु राज्य सरकार को लैब्स के पंजीयन नहीं करने की जिम्मेदारी से दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। प्रदेश के बड़े-बड़े अस्पतालों और लोब्स में कार्यरत डॉक्टरों का कहना है कि प्रदेश में अवैध रूप से करीब दस हजार से पन्द्रह हजार मैडिकल लैब हैं। इनमें से ज्यादातर तो सैम्पल 'कलैक्शन सैंटर' मात्र हैं जिनके पास ना तो कोई स्टाफ है और ना ही कोई मशीने, जिससे टैस्ट किया जा सके। यहां से केवल 'फर्जी रिपोर्ट' ही जारी की जाती है।

भामाशाह योजना के तहत बीमा योजना का कवर 10 लाख रूपये तक है, जैसा कि विदित है की भामाशाह योजना को न्यू इंडिया अश्योरेंस द्वारा कवर किया जाता था। उल्लेखनीय है कि भामाशाह योजना के तहत कवर देने का अनुबंधन न्यू इंडिया अश्योरेंस के साथ खत्म कर दिया गया है। इस अनुबंधन को हटाने के कई कारण हो सकते हैं जैसे की न्यू इंडिया अश्योरेंस को हुआ भारी घाटा क्योंकि इस योजना में एक निहित खामी यह भी है की फ्री इलाज और फ्री दवाईयों के दौर में अस्पतालों ने मरीज़ों को अनुचित व अनावश्यक टैस्ट व इलाज कराने का प्रोत्साहन भी दिया। परंतु मुख्यमंत्री गहलोत ने यह आरोप लगाया था कि इस योजना के तहत 2600 करोड़ का घोटाला हुआ था।

यह खोज खबर मुख्यमंत्री के इस दावे की पुष्टि नहीं करती है कि प्रदेश में 2600 करोड़ का घोटाला हुआ था या हो रहा है। परंतु यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ने केवल योजना का नाम बदलकर, उसके अंतर्गत कवर की राशि बढ़ाई है, पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये।

दरहसल चिरंजीवी जैसी योजना, जिनकी 80 प्रतिशत फंडिंग केन्द्र सरकार व उसकी न्यू इंडिया इंश्योरेंस एजेंसी करती है, कार्ड होल्डर द्वारा तभी उपयोग में लाई जा सकती है जब वह अस्पताल में दाखिला ले चुके हो। परंतु अस्पताल के दाखिले के पूर्व सारे मैडिकल टैस्ट या जांच मैडिकल लैब्स में ही की जाती है और इन्हीं मैडिकल रिपोर्ट की तर्ज पर इलाज व उसका इंश्योरेंस क्लेम बनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारी व अफसर अपनी मैडिकल जांच का भुगतान "राजस्थान गर्वमेंट हैल्थ स्कीम" (आर.जी.एच.एस.) के द्वारा करवा सकते हैं। पर यहां भी हैरानी की बात यह है कि आर.जी.एच.एस. स्कीम के तहत कई प्राईवेट व सरकारी अस्पताल इम्पैनल तो किए गए हैं परंतु कोई भी मैडिकल लैब इम्पैनल नहीं की गई है।

केन्द्र सरकार की सेंट्रल गवरमेंट हैल्थ स्कीम (सी.जी.एच.एस.) या सेना की समानान्तर हैल्थ सेवा के अंतर्गत मैडिकल लैब्स को इम्पैनल किया गया है ताकि इन दोनों स्कीम के तहत लाभ उठाने के लिए इम्पैनल्ड लैब से ही टैस्ट करा सके।

दरहसल छोटे जिलों या शहरों में ऐसे कई अस्पताल होते हैं, जहां सभी तरीके के टैस्ट उपलब्ध नहीं होते, इसलिए लैब्स की आवश्यकता होती है, जहां वे टैस्ट करवाएं जा सके जो अस्पतालों में नहीं होते हैं। किसी भी छोटे या बड़े अस्पताल को जटिल या महंगे टैस्ट, जो आमतौर पर उस अस्पताल के परिसर के अंदर उपलब्ध नहीं होते, उसे वह टैस्ट बाहर से कराने के लिए सरकारी समिति से स्वीकृति लेनी पड़ती है। परंतु डॉक्टरों के अनुसार यह प्रक्रिया जटिल है और भ्रष्टाचार से पूर्ण है। सूत्रों के अनुसार इस जटिलता, भ्रष्टाचार और भुगतान में अनिमयताओं कई बड़े अस्पताल, जैसे फोर्टस, आर.जी.एच.एस.स्कीम के अंर्तगत आने वाले मरीजों को पांच दिन से अधिक अवधि तक भर्ती देना बंद कर दिया। क्योंकि राज्य सरकार समय पर क्लेम का भुगतान नहीं कर रही थी।

आर.जी.एच.एस. के तहत सरकार ने नर्सिंग होम का इम्पैनलमैंट कर रखा है जबकि इनका ना तो पंजीकरण है और ना ही न्यूनतम मानक बने हैं। हमें कई डॉक्टरों ने बताया कि आर.जी.एच.एस. के अंर्तगत आने वाले मरीजों के आवश्यकता से अधिक टैस्ट लिख देते हैं जिनकी जांच या तो अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं होती या कराई नहीं जाती, परंतु फिर भी अस्पताल सरकार से भुगतान ऐंठ लेते हैं।

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम

मिनि स्वास्थ्य भवन, सेठी कॉलोनी, जयपुर (दूरभाष नं. 0141-2605858)

क्रमांक सामान्य/एफ-95(4)/2019/13 दिनांक 01.08.2019

PROVISIONAL CERTIFICATE

FOR LAB REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

1	नैदानिक स्थापन का नाम:-	Care and Cure Laboratory and Invitro Allergy testing
2	पता:-	68 गंगवाल पार्क जयपुर
3	नैदानिक स्थापन स्वामी का नाम:-	श्री निरंजन सिंह नरूका
4	भारसाधक व्यक्ति का नाम:-	—
5	औषध की पद्धति:-	—
6	स्थापन का प्रकार:-	लैबोरेट्री

को नैदानिक स्थापन(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम 2010 ओर तदधीन बने नियमों के अधीन इसके द्वारा अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

यह प्राधिकार नैदानिक स्थापन(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम 2010 ओर तदधीन बने नियमों के अधीन प्रवृत नियमों में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन है।

नोट- यह प्रमाण पत्र दिनांक 01.08.2019 से 31.07.2020 तक वैध है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम

जयपुर दिनांक 01.08.2019

उक्त दस्तावेज में देखा जा सकता है कि जयपुर ज़ोन- प्रथम में सी.एम.एच.ओ. द्वारा एक लैब का अस्थायी पंजीकरण किया गया है, परंतु लैब में कार्यरत "भारसाधक व्यक्ति" और औषध की पद्धति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी इस लैब की जांच करेंगे तो वह रिक्त छोड़ी गई जानकारी का सत्यापन कैसे करेंगे? उक्त लैब का अस्थायी पंजीकरण होने के बाद से जयपुर प्रथम के सी.एम.एच.ओ. कई बार बदले जा चुके हैं इसलिए इस संबंध में किस अधिकारी से सवाल पूछा जाए यह भी स्पष्ट नहीं है।

मणिपुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मणिपुर पर चर्चा करवाने के लिए प्रस्ताव भी रद्द कर दिये और कहा कि मीडिया ने गलत जानकारी दी है कि वे इस पर चर्चा के लिए सिर्फ ढाई घंटे देंगे। उन्होंने कहा चर्चा के लिए समय की सीमा नहीं है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908